न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 510/2025 (405/2024, 97/2014)
जीसीएमएस नम्बर :-2024/01559

भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल जूनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा **मृतक के बजाय-**

1/1. दिनेश पिता भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 42 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/2. आशा पुत्री भुरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 44 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/3. उषा पुत्री भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 43 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/4. सुशीला पुत्री भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 40 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/5. मुन्नी पत्नी भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 72 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. मिठु लाल पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
2. राधेश्याम पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. मुलचन्द पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़लियास, जिला भीलवाड़ा राज0

----प्रतिवादीगण

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता -

1- श्री दिनेश शिशोदिया अभिभाषक वादी।
2- प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

1.

निर्णय

दिनांक- 31/12/2025

वादी की ओर से दिनांक 11.11.2014 को अधिवक्ता श्री दिनेश सिसोदीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया जो रिपोर्ट उपरान्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में वाद संख्या 97/2014 बउनवानी भूरालाल बनाम मिठूलाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात उक्त वाद इस न्यायालय को अग्रिम सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादी द्वारा ने अपने वाद पत्र में इस आशय का अभिकथन किया कि ग्राम जित्या पटवार हल्का सूठेपा, तहसील कोटड़ी हाल तह0 सवाईपुर के बैरून हल्के में आराजी संख्या 354 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 03 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित है जो वर्तमान में वादी के नाम पर 1/2 हक व हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर शेष 1/2 हक व हिस्से से खातेदारी में अभिलिखित चली आ रही है उक्त वर्णित आराजियात को आगे वाद में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा।

विवादित आराजियात में वादी का 1/2 हक व हिस्सा निहित होकर इसी हक व हिस्से अनुसार वादी विवादित आराजियात पर बहैसियत सहखातेदार कृषक काबिज हो उपयोग-उपभोग निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी विवादित आराजियात के शेष 1/2 हक व हिस्से पर काबिज हो उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है अर्थात विवादित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के निस्बा-निस्ब हक व हिस्से के सहखातेदार होकर शामिल में ही उक्त आराजियात का उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है।

विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या से 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य काश्त आदि को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है तथा लगान आदि जमा कराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही विभाजन के अभाव में वादी अपने खातेदारी हक व हिस्से की आराजियात का समुचित उतरोतर विकास भी नहीं करा पा रहा है इस कारण विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य 1/2, 1/2 हक व हिस्से से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराया जाना आवश्यक हो गया है अर्थात वादी विवादित आराजियात में से अपना 1/2 हक व हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी है तदनुसार लगान का भी विभाजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी विवादित आराजियात के अपने 1/2 हक व हिस्से पर निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज हो काश्त कर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है किन्तु कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की नियत में फितुर आ गया है और इसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने दुर्भावना से प्रेरित हो दिनांक 15.10.2014 को धमकी दी कि वह (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) विवादित आराजियात का बिना विभाजन कराये अपना हक व हिस्सा ही विशिष्टतया दर्ज करते हुये हस्तान्तरित कर देगें जिससे मामले में पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को समझाने बुझाने पर भी वह अपनी आदत से बाझ नहीं आते है तथा आये दिन वादी को विवादित आराजियात बिना विभाजन कराये ही अन्य व्यक्तियों को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपना हक व हिस्सा हस्तान्तरित करने की धमकी देते है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बिना विधिवत विभाजन कराये अपना विशिष्ट हक व हिस्सा हस्तान्तरित नहीं कर सकते है ऐसी हालत में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के 1/2 हक व हिस्से पर वादी को सदैव की भांति काबिज बने रहने देकर वादी द्वारा विवादित आराजियात के 1/2 हक व हिस्से के निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से किये जा रहे उपयोग-उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी व हस्तक्षेप नहीं करे/करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बिना विधिवत विभाजन कराये विवादित आराजियात में से अपना सम्पूर्ण 1/2 हक व हिस्सा अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें करावें।

वादी ने विवादित आराजियात का 1/2, 1/2 हक व हिस्से से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने हेतु दिनांक 01.11.2014 को पुनः प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से इंकार कर दिया इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करने की नोईयत पेश हुयी है।

बिनायवाद दिनांक 15.10.2014 व 01.11.2014 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 के एरिया के लैण्ड होल्डर होने से उन्हें प्रकरण हाजा में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध कोई दाद वादी ने अपने वाद में नहीं चाही है।

विवादित आराजियात अधिकार क्षेत्र न्यायालय आपमें स्थित होने से तथा पक्षकारान के भी न्यायालय आपके अधिकार क्षेत्र के निवासी होने से यह वाद न्यायालय आपके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय आपमें पेश है।

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से वांछित कोर्टफीस 3/- रूपये पर अन्दर अवधि पेश है।

वाद की ताईद में शपथ पत्र एवं नियमानुसार वाद पत्र की अतिरिक्त प्रति पेश है।

अतः प्रार्थना है कि बजरिये डिक्री विभाजन की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि ग्राम जित्या पटवार हल्का सूठेपा, तहसील कोटड़ी के बैरून हल्के में आराजी संख्या 354 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा कुल कीता 03 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य 1/2, 1/2 हक व हिस्से से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराते हुये विभाजन से प्राप्त हक व हिस्सा वादी के सिपूर्द एवं कब्जे कराया जावे तथा साथ ही लगान का भी तदनुसार अर्थात 1/2, 1/2 हक व

21/2/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हिस्से से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विभाजन कराये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

बजरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा की बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के 1/2 हक व हिस्से पर वादी को सदैव की भांति काबिज बने रहने देकर वादी द्वारा विवादित आराजियात के 1/2 हक व हिस्से के निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से किये जा रहे उपयोग-उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दखलदांजी व हस्तक्षेप नहीं करे, करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बिना विधिवत विभाजन कराये विवादित आराजियात में से अपना सम्पूर्ण 1/2 हक व हिस्सा अन्य व्यक्तियों को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें, करावें।

हर्जा-खर्चा मेहनताना वकील एवं अन्य आवश्यक दाद जो मुफिद वादी हो सके वह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से दिलायी जावे।

वादी अपने वाद पत्र का सत्यापन किया तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा वादी का वादपत्र दिनांक 13.11.2014 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तेली का अधिकार पत्र दिनांक 30.12.2014 को पेश हुआ। वादी की मृत्यु दिनांक 19.09.2020 को हो जाने से वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.12.2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी व धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 05.12.2023 को प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाना आवश्यक है। अतः वादी अधिवक्ता का एकपक्षीय निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.12.2023 को जारी की गई। संशोधित डिक्री दिनांक 18.12.2023 को जारी की गई। पुनः संशोधित डिक्री दिनांक 09.01.2024 को जारी की गई।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला भीलवाड़ा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील कोटड़ी का पुनगर्ठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाड़ा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है। प्रकरण उपखण्ड भीलवाड़ा में दिनांक 30.07.2024 को प्रकरण संख्या 405/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में नायब तहसीलदार बड़लियास ने पालना रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/राजस्व/2025/29 दिनांक 15.01.2025 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई।

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश कमांक न्याया/विविध/2025/42033 दिनांक 13.02.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89, 92क, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन तहसील सवाईपुर की पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 27.03.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

510/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर आपति/आक्षेप हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा कुर्रेजात रिपोर्ट पर भी कोई आपत्ति माननीय न्यायालयके समक्ष उपस्थित होकर किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। जब पत्रावली पर वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का कोई खण्डन मौजूद नहीं हो तो दावा डिक्री किये जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है, इत्यादि तर्को के आधार पर निवेदन किया कि वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, दस्तावेजो व कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। नायब तहसीलदार बड़लियास द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2068- 2071 के खाता संख्या नया 139 पुराना 142 में राजस्व ग्राम जित्या, पटवार क्षेत्र सुठेपा, तहसील कोटड़ी हाल तहसील सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 354 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी भूरामल मु0 माणकचन्द हिस्सा 1/2, मिठूलाल, राधेश्याम, मूलचन्द पि0 श्रीकिशन हिस्सा 1/2 ब्राह्मण साकिन देह खातेदार रहन बड़ौदा राज. ग्रामीण बैंक शाखा बरून्दनी हिस्सा राधेश्याम पिता श्रीकिशन का रहन- भारतीय स्टेट बैंक कृषि विस्तार शाखा माण्डलगढ हिस्सा मिठूलाल पिता श्रीकिशन का ई.नं. 776, 883 दर्ज रिकार्ड है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान् इस प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के रूप में पक्षकार संयोजित है। इस प्रकार विवादित उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी में जमाबन्दी अनुसार दर्ज होने से पक्षकारान् की सह-खातेदार काश्तकार है जो पक्षकारान् की अविभाजित भूमि है।

नायब तहसीलदार बडलियास तहसील कोटड़ी द्वारा विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या नया 75 पुराना 140 के अर्न्तगत मृतक खातेदार भूरालाल के स्थान पर उसके वारिसान आशा पुत्री भूरालाल हिस्सा 1/10, उषा पुत्री भूरालाल, दिनेशकुमार पुत्र भूरालाल हिस्सा 1/10, मुन्नी पत्नि भूरालाल हिस्सा 1/10 व सुशीला पुत्री भूरालाल हिस्सा 1/10 दर्ज रिकार्ड है तथा मूलचन्द पुत्र श्री किशन हिस्सा 1/6, मिठूलाल पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़लियास, राधेश्याम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बरून्दनी दर्ज रिकार्ड है।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने नायब तहसीलदार, बडलियास तहसील कोटड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/राजस्व/2025/29 दिनांक 15.01.2025 मुताबिक दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने हेतु सहमति दी है। विभाजन प्रस्ताव में अंकित

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

है कि वादीगण प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव एवं तरमीम से सहमत है परन्तु प्रतिवादीगण उक्त प्रस्तावित से सन्तुष्ट एवं सहमत नहीं है। प्रतिवादीगण आराजी नम्बर 354 की प्रस्तावित तरमीम से सहमत है परन्तु आराजी नम्बर 360 की तरमीम प्रस्ताव अनुसार दोनो के मध्य की मेड़ (पूर्व से पश्चिम) नहीं चाहकर उत्तर से दक्षिण की ओर चाहते है, जिससे वादीगण सहमत नहीं है। हमने उक्त असहमति पर विचार किया और खसरा नम्बर 360 के नक्शे पर दृष्टिपात किया तो पाया कि खसरा नम्बर 360 की पूर्व दिशा तरफ समान पश्चिम दिशा की भूजा की तरह समान न होकर भिन्न आकृति पर आधारित है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 360 की तरमीम दोनो के मध्य की मेड़ पूर्व से पश्चिम ही सही बैठती है जो कृषि उपयोगिता की दृष्टि से भी सही है कानूनन ऐसा विखण्डन नहीं किया जा सकता, जिससे कि कृषि उपयोगिता को क्षति कारित होती हो। खसरा नम्बर 360 में उत्तर से दक्षिण मेड़ स्थापित किये जाने पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हो सकता है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर नायब तहसीलदार बडलियास तहसील कोटड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई आपत्ति/असहमति को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतएव वादी भूरालाल (मृतक दौराने वाद) के वारिसान का दावा बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जित्या पटवार हल्का सूठेपा, तहसील कोटड़ी हाल तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 354 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का विधिक विभाजन निम्नांनुसार किया जाता है-

1- वादीगण दिनेश कुमार, आशा, उषा, सुशीला पिता भूरालाल, मुन्नी देवी पत्नी भूरालाल ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार-

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
354/1	0.2268 हैक्टयर	0.52
360/1	2.1714 हैक्टयर	3.12
कुल किता 2	कुल रकबा 2.3982 हैक्टय	3.64

2- प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 क्रमशः मुलचन्द, मिठुलाल पिता श्रीकिशन, राधेश्याम पिता श्रीकिशन ब्राहम्ण सा0 देह खातेदारान्

रहन- BRKGB बड़लियास हिस्सा मिठुलाल

रहन- BRKGB बरून्दनी हिस्सा राधेश्याम

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
354/2	0.2269 हैक्टयर	0.53
360/2	0.1714 हैक्टयर	3.13
कुल किता 02	कुल रकबा 0.3983 हैक्टयर	3.66

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

3- पूर्वानुसार सामलाति-

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
355/1	0.0648 हैक्टेयर	1
कुल किता 01	कुल रकबा 0.0648 है0	1

तहसीलदार, बडलियास तहसील कोटड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को इस निर्णय व डिक्री का जूज पढा जायेगा। बैंक राहिन से संबंधित पक्षकार अपने-अपने बैंक ऋण के लिए उत्तरदायी होगे।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार कोई भी पक्षकार एक-दूसरे के कब्जे-काश्त, शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग में बाधा, रूकावट, व्यवधान, हस्तक्षेप करने से निषेद्ध रहे।

नायब तहसीलदार बडलियास तहसील कोटड़ी को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक अन्तिम डिक्री राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

आज दिनांक 31/12/25 को सरे इजलास में निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

31/12/25

अरूण कुमार जैन
सहायक कलेक्टर (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 510/2025 (405/2024, 97/2014)
जीसीएमएस नम्बर :-2024/01559

भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल जूनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा **मृतक के बजाय-**

1/1. दिनेश पिता भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 42 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/2. आशा पुत्री भुरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 44 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/3. उषा पुत्री भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 43 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/4. सुशीला पुत्री भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 40 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

1/5. मुन्नी पत्नी भूरा लाल मुतबन्ना माणकचंद तिवाड़ी पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी आयु 72 वर्ष निवासी जित्या तह0 कोटड़ी हाल निवासी जुनावास पटवारियों के मंदिर के सामने भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. मिठु लाल पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
2. राधेश्याम पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. मुलचन्द पिता श्रीकिशन लाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी जित्या तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़लियास, जिला भीलवाड़ा राज0

----प्रतिवादीगण

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्दई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

अतएव वादी भूरालाल (मृतक दौराने वाद) के वारिसान का दावा बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जित्या पटवार हल्का सूठेपा, तहसील कोटड़ी हाल तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 354 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 355 रकबा 06 बिस्वा, आराजी संख्या 360 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का विधिक विभाजन निम्नांनुसार किया जाता है-

1- वादीगण दिनेश कुमार, आशा, उषा, सुशीला पिता भूरालाल, मुन्नी देवी पत्नी भूरालाल ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार-

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
354/1	0.2268 हैक्टयर	0.52
360/1	2.1714 हैक्टयर	3.12
कुल किता 2	कुल रकबा 2.3982 हैक्टय	3.64

2- प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 कमशः मुलचन्द, मिठुलाल पिता श्रीकिशन, राधेश्याम पिता श्रीकिशन ब्राहम्ण सा0 देह खातेदारान्

रहन- BRKGB बड़लियास हिस्सा मिठुलाल

रहन- BRKGB बरून्दनी हिस्सा राधेश्याम

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
354/2	0.2269 हैक्टयर	0.53
360/2	0.1714 हैक्टयर	3.13
कुल किता 02	कुल रकबा 0.3983 हैक्टयर	3.66

3- पूर्वानुसार सामलाति-

आराजी संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
355/1	0.0648 हैक्टेयर	1
कुल किता 01	कुल रकबा 0.0648 है0	1

31/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तहसीलदार, बडलियास तहसील कोटड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव है इस निर्णय व डिक्री का जूज पढा जायेगा। बैंक राहिन से संबंधित पक्षकार अपने-अपने बैंक ऋण के लिए उत्तरदायी होगे।

स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार कोई भी पक्षकार एक-दूसरे के कब्जे-काश्त, शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग में बाधा, रूकावट, व्यवधान, हस्तक्षेप करने से निषेद्ध रहे।

नायब तहसीलदार बडलियास तहसील कोटड़ी को आदेशित किया जाता है कि कानूनाबिक अन्तिम डिक्री राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक --------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 31/12/25 को जारी की गई।

31/12/25

अरूण कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्धई	रूपया	पैसे	मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	-	-	स्टाम्प अर्जीदावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील	-	-	महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-	फीस कमिशनर बाबत् इजराय	-	-
हुक्मनामा	-	-	हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-

31/12/25

अरूण कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा